



## आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम-126)

आदेश-पत्रक-ता0..... से..... तक

जिला गढ़वा..... विविध वाद सं0..... 06..... सन 2020-21।

केस का प्रकार - **अद्यतन करने के संबंध में।**

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
18.07.2020	<p>आवेदक विनोद पिता बंशी प्रजापति, ग्राम अम्बाखोरेया द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा अम्बाखोरेया के खाता नं0 1 प्लॉट 201/A, 201/B, 201/1+2, 201/3+4, कुल रकबा 2.90 तथा खाता नं0 50, प्लॉट 273 रकबा 1.60 एकड़ का मांग गत सर्वे के अनुसार आवेदक के नाम पर चलता था। उक्त भूमि का हाल सर्वे में खाता सं0 160 प्लॉट नं0 742, 743 एवं 732 बना है जिसका खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। आवेदक द्वारा इसके विरुद्ध डेविड सुनिल टोप्पो, राजस्व पदाधिकारी के शिविर न्यायालय नगर उंटारी में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत वाद संख्या 5642/01 के द्वारा अपील दायर किया। राजस्व पदाधिकारी ने इनके दावे को सही मानते हुए आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया। आवेदकगण के द्वारा फैसले के अनुरूप पंजी ॥ में नाम दर्ज कर लगान रसीद निर्गत करने के लिए अनुरोध किया है। राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक .... 28.07.2020 को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी                      धुरकी।                 </p>	
28.07.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा अम्बाखोरेया के खाता नं0 1 प्लॉट 201/A, 201/B, 201/1+2, 201/3+4, कुल रकबा 2.90 तथा खाता नं0 50, प्लॉट 273 रकबा 1.60 एकड़ का मांग गत सर्वे के अनुसार आवेदक के नाम पर चलता था। उक्त भूमि का हाल सर्वे में खाता सं0 160 प्लॉट नं0 742, 743 एवं 732 बना है जिसका खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। आवेदक द्वारा इसके विरुद्ध डेविड सुनिल टोप्पो, राजस्व पदाधिकारी, के शिविर न्यायालय नगर उंटारी में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत वाद संख्या 5642/01 के द्वारा अपील दायर किया। राजस्व पदाधिकारी ने इनके दावे को सही मानते हुए आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि वर्तमान में आवेदक के दखल कब्जे में है।</p> <p>अतः राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में ग्राम अम्बाखोरेया के खाता सं0 160 प्लॉट 742 रकबा 1.40 एकड़ प्लॉट 743 रकबा 0.50 एकड़ 732 रकबा 1.48 एकड़ कुल 3.38 एकड़ भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम से पंजी ॥ से <del>हटाकर</del> आवेदक विनोद प्रजापति पिता बंशी प्रजापति, ग्राम अम्बाखोरेया के नाम पर दर्ज करने की <u>सुझाव</u> दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी                      धुरकी।                 </p>	